

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु सुशील कुमार 1113400022
 पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री भोगल राव निवासी ग्राम/कस्बा चन्देरी
 जिला कुल-दमन संभाग मेरठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश
जो 129 जाति/जनजाति संबंधित जो निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956 मुम्बई पुर्वगठन अधिनियम 1960 और
 अधिनियम 1966

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुर्नगठन अधिनियम) 1971 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
 आदेश संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959

संविधान (दादर तथा नागर —) अनुसूचित जाति आदेश 1962

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जाति आदेश 1967

संविधान (गोवा दमन एवं दीप) अनुसूचित जाति आदेश 1968

संविधान (गोवा दमन एवं दीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962

संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1996



श्री/श्रीमति/कुमारी सुशील कुमार और उसका परिवार सामान्यतः
 ग्राम/कस्बा चन्देरी जिला कुल-दमन संभाग मेरठ
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान चन्देरी

दिनांक 22/5/13

(रूपशंकर यादव)

तहसीलदार

(मन्दाबाद पुणेहर)

7030/2012-5-13

प्रतिहस्ताक्षर

पद नाम
सहायक अधिकारी (प्रशासनिक)
 (कार्यालय की सील)
सहायक अधिकारी

नोट :- प्रमाण पत्र को जारी किये जाने की सत्यता राजस्व परिषद की वेबसाईट <http://or.up.nic> पद पर उपलब्ध